3rd year CE-309 Construction Mangt. & A/c
2nd Test

(1)

Q. ठेका श्रमिक अधिनियम के प्रमुख विधानों को स्पष्ट कीजिए।

Ans. भारत सरकार ने 1970 में ठेका श्रमिक अधिनियम बनाया। जो ठेके पर या ठेकेदार के साथ कार्यरत श्रमिकों पर लागू होता है। यह अधिनियम उन अवस्थाओं में लागू होता है जब किसी ठेके पर 20 या इससे अधिक श्रमिक लगे हो। दैनिक मजदूरों, विरामी व कभी-कभी कार्य करने वाली संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान:-

(1.) पंजीकरण
(2.) ठेकेदारों का लाइसेंस लेना
(3.) वेतन का भुगतान
(4.) श्रम कल्याण

(1.) पंजीकरण:- इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को पंजीकरण कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है ताकि अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू हो सके।

(2.) ठेकेदारों का लाइसेंस लेना:- जो ठेकेदार ठेका श्रमिक रखकर कार्य करवाते हैं, उन्हें लाइसेंस अधिकारी से ठेका श्रमिक रखने का लाइसेंस लेना आवश्यक होता है।

(3.) वेतन का भुगतान:- श्रमिकों को सही समय पर भुगतान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। यदि ठेकेदार मजदूरी का भुगतान नहीं करता है तो नियोक्ता इस कार्य को करता है व उस राशि को ठेकेदार को दिए जाने वाले भुगतान से काट लेता है।

(4.) श्रम कल्याण:-

(a.) कारखाने में कार्य के दौरान श्रमिक स्वयं एवं उनके कपड़े गन्दे हो जाते हैं। अतः श्रमिकों को नहाने-धोने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।

Scanned by CamScanner

(b.) जहाँ श्रमिकों को खड़े होकर कार्य करना पड़ता है, बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(c.) जहाँ 250 या अधिक श्रमिक कार्यरत हो वहाँ जलपानगृह की व्यवस्था और देखरेख संबंधी नियम राज्य सरकार बना सकती है।

(d.) राज्य सरकार किसी कारखाने में श्रमिकों द्वारा कारखाने के कार्य के समय न पहनने योग्य वस्त्रों को रखने व गीले कपड़ों को सुखाने के लिए, उपयुक्त व्यवस्था के लिए आदेश-निर्देश तक दे सकती है।

Q.3. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के मुख्य प्रावधानों को समझाइए।

Ans. श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रमिकों को उद्योग में कार्य के दौरान हुई हानियों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है तथा भावी अनिश्चितताओं, आकस्मिकताओं एवं चिन्ताओं से मुक्ति प्रदान करता है।

श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

(1) नियोक्ता का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होना :-

(a.) यदि श्रमिक को दुर्घटना के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत शारीरिक चोट लगी हो तो नियोक्ता को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि चोट शारीरिक ही हो। यदि श्रमिक के किसी संबंधी को चोट पहुँचती हो तो वह क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है।

(b.) श्रमजीवी अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसे श्रमिक को ही क्षतिपूर्ति पाने के अधिकार हैं जिनका मासिक वेतन या मजदूरी 1000 रू से अधिक नहीं है।

(2) नियोक्ता का क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होना:-

(a.) यदि श्रमिक दुर्घटना के समय शराब अथवा अन्य औषधि के प्रभाव में हो तो नियोक्ता क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(b.) यदि श्रमिक चोट के फलस्वरूप 3 दिन या इससे कम अवधि के लिए पूर्ण अथवा आंशिक अयोग्य रहता है।

Scanned by CamScanner

(3) नियोक्ता की क्षतिपूर्ति करने की दर :-

(a.) यदि श्रमिक की चोट के फलस्वरूप मौत हो जाती है तो उसे अनुसूची 4 में निर्दिष्ट सीमाओं में मिलने वाली मजदूरी के अनुसार क्षतिपूर्ति दी जाएगी जो न्यूनतम 7200 रू. से लेकर अधिकतम 30,000 रू. की राशि तक हो सकती है।

(b.) इसी प्रकार अधिनियम में श्रमिक को स्थायी आंशिक या पूर्ण अयोग्यता एवं आंशिक अस्थायी अयोग्यता की दशा में अलग-अलग क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है।

(4) क्षतिपूर्ति का भुगतान :-

(a.) जैसे ही नियोक्ता आयुक्त के पास क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि जमा कर देता है वह तुरंत अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।

(b.) आयुक्त नियोक्ता द्वारा जमा की क्षतिपूर्ति की राशि में से श्रमिक के दाह-संस्कार का वास्तविक व्यय काटकर शेष राशि का वितरण मृतक के आश्रितों में कर देगा।

(5) सूचना एवं दावा :-

इस सूचना में तीन बिन्दु सम्मिलित हैं :-

(a.) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का नाम व पता

(b.) दुर्घटना का कारण

(c.) दुर्घटना की तिथि का उल्लेख होना।

Q. ठेके के सामान्य नियम एवं शर्तें स्पष्ट कीजिए।

उत्तर (1) पर सम्पूर्ण मदों की होनी चाहिए।

(2) ठेकेदार को Store में दी जाने वाली वस्तुओं की सूची, उनकी दरें व देने का स्थान आदि दिया जाना चाहिए।

(3) जमानत धनराशि (प्राक्कलन का 10%) किस प्रकार व कब जमा करनी है इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(4) श्रमिकों का न्यूनतम वेतन व क्षतिपूर्ति।

(5) कार्य के पूर्ण होने का समय।

Scanned by CamScanner

(6) विभिन्न अवस्थाओं में कार्य की प्रगति।

(7) कार्य में प्रगति के निर्वहन करने या स्तर से नीचे काम करने या समय से कार्य पूरा न करने पर दण्ड या जुर्माने का प्रावधान।

(8) चालू व अंतिम भुगतान देने की तिथि व जमानत राशि की वापसी की तिथि।

(9) ठेका समाप्त करने के नियम व debitable agency द्वारा कार्य करने का प्रावधान।

(10) अतिरिक्त मदों तथा दरों के निर्णय करने का अधिकार।

(11) ठेके का कार्य पूरा न करने पर जमानत की राशि जब्त की जा सकती है।

(12) कार्य का निरीक्षण किया जायगा। छोटे-छोटे ठेकों पर कार्य नहीं दिया जाएगा

(13) ठेकेदार मजदूरों की स्थानीय चालू दर पर मजदूरी देगा।

Scanned by CamScanner